न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/178/2018

अपीलार्थी बनाम **प्रत्यर्थी**

श्री मनोहरलाल दत्तक पुत्र महादेव
निवासी–मोमनपुर, पो. जागुवास, तहसील–बहरोड
जिला–अलवर (राज.)

लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

प्रवेश तिथि 20.12.2018

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 27.12.2018

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 17.11.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में दिनांकः 30.10.2018 को प्रस्तुत प्रा0पत्र पर की गई कार्यवाही बाबत सूचना चाही गई थी।
5. आवेदक द्वारा प्रा.पत्र दि. 17.11.2018 के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग से सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण प्रा0पत्र दिनांकः 19.12.18 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः लोक सूचना/2018/1401–02 दिनांकः 26.12.18 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
8. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया।
9. प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय को प्रस्तुत प्रथम अपील के बाद पत्रांकः 1400 दिनांकः 26.12.18 के माध्यम से कार्यवाही कर अपीलार्थी को सूचित करते हुए इस न्यायालय को जवाब नोटिस प्रस्तुत किया है जो अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है।
10. अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है तथापि भविष्य में उक्त अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर अविलम्ब विनिश्चय कर आवेदकों को सहज भाव से सूचित किया जावे।
11. अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।
12. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
13. निर्णय घोषित ।

(ओ.पी. जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)